संख्या-8/2016/1550एस0ची0उ0अनु0-1/16-2511/2013

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

विषय:- पेराई सत्र 2015-16 में क्रय किये गये गन्ने की कुल मात्रा पर दिये गये सोसायटी कमीशन की चीनी मिलों को पूर्व में शासकीय प्रतिपूर्ति की सुविधा को वापस लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-02/2016/113एस0ची0उ0अनु0-1/16-2511/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2016 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पेराई सत्र 2015-16 में चीनी उद्योग की विषम परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में लिये गये निर्णय के अनुसार पेराई सत्र 2015-16 में क्रय किये गये गन्ने की कुल मात्रा पर दिये गये सोसायटी कमीशन की दर रू0 3.00 प्रति कुन्तल होने एवं उक्त के अनुसार चीनी मिलों द्वारा सहकारी गन्ना विकास समितियों को उक्त सोसायटी कमीशन के भुगतान किये जाने के आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रतिपूर्ति का दावा, पूर्ण विवरण सहित त्रैमासिक आधार पर गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत दावों का परीक्षण गन्ना आयुक्त के द्वारा करते हुए सहकारी गन्ना विकास समितियों को सोसायटी कमीशन का भुगतान सुनिश्चित होने पर उसकी शासकीय प्रतिपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर गन्ना कृषकों के हित में तथा चीनी, शीरा, बगास एवं प्रेसमड के औसत बाजार मूल्य व अन्य घटकों के आधार पर चीनी मिलों को मानक राजस्व से अधिक लाभ होने आदि के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पेराई सत्र 2015-16 हेतु चीनी मिलों को नीतिगत निर्णय के अधीन दी गयी तात्कालिक वित्तीय सहायता में से समिति कमीशन प्रतिपूर्ति रू0 3.00 प्रति कुन्तल की सुविधा को वापस ले लिया जाय, किन्तु छूट के रूप में दी गयी वित्तीय सहायता यथा-क्रयकर में छूट, चीनी के प्रवेश कर में छूट एवं समिति कमीशन में छूट (रू0 3.90 प्रति कुन्तल) की सुविधा यथावत रखी जाय तथा पेराई सत्र 2015-16 के संबंध में शासन द्वारा लिये गये पूर्व निर्णय को उपरोक्तानुसार यथासंशोधित माना जाय। इस प्रकार शासन के उक्त अद्यतन निर्णय के क्रम में गत पेराई सत्र 2015-16 में चीनी मिलों को सोसायटी कमीशन (निर्धारित दर रू0 3.00 प्रति कुन्तल) का भुगतान सहकारी गन्ना विकास समितियों को कर दिये जाने की स्थिति में दी गयी सोसायटी कमीशन के शासकीय प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं की जायेगी तथा इस सीमा तक पूर्व निर्गत उपर्युक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-02/2016/113एस0ची0उ0अनु0-1/16-2511/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2016 को संशोधित माना जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-817/दस-2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2016/1550(1)एस0ची0उ0अनु0-1/16-2511/2013-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी) तथा लेखा परीक्षा-1/2, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (उन जनपदों में जहाँ चीनी मिलें स्थित हैं)
4 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0/उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0,लखनऊ।
5- समस्त उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0।
7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।